Protection and Export of Wooden and Aluminium Handicrafts

618. SHRI B. L. PANWAR : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to protect and boost-up the export of wooden and aluminium handicrafts for the purpose of earning foreign exchange;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether it is a fact that these handicrafts are not being patronised by Government's handicrafts show-room thereby creating frustration among the artisans ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) and (b) No, Sir. The protection and export of wooden and aluminium handicrafts for the purpose of earning foreign exchange are governed by the existing export assistance measures like duty draw back in the case of aluminium handicrafts, concessional export credit in general and partial rupee convertibility.

(c) No, Sir. The wooden and aluminium handicrafts are sold through Government showrooms set up in different parts of the country.

Meeting of All India Powerloom Board

619. SHRI MOHINDER SINGH LATHER : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether a meeting of All India Powerloom Board was held in the last week of April, 1992.

(b) if so, the details of the discussions held; and

(c) the measures taken for the growth of powerloom sector ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) Yes, Sir.

(b) Following issues were mainly discussed in the meeting : Growth of powerloom, working of Powerloom Service Centre, Registration under textile (Control) Order, 1986, availability and price of yarn, modernisation of powerlooms, Cooperativisation of powerlooms etc.

(c) For the growth of powerloom sector, the following measures have been taken :

(i) The Powerloom Service Centres run by Textile Research Associations are rendering service to the Powerloom by providing testing facilities, training to weavers, organising Seminars/ Exhibitions etc.

(ii) Schemes have been formulated in the VIII Five Year Plan to strengthen the existing Powerloom Service Centres, to provide infrastructures facilities in Powerloom concentration areas and also for certain Welfare Schemes.

(iii) Government has provided 3% quota for export of fabrics exclusively for the powerloom Sector.

राष्ट्रीय पटसन माल विनिर्माता निगम को श्रमिकों की सहकारी समिति द्वारा चलाया जाना

620. श्री रणजीत सिंह :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पटसन महल विनिर्माता निगम को गत वर्षों से निरंतर घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम को मार्च 1992 तक कुल कितना घाटा हुआ है ;

(ग) उपर्युक्त अवधि तक सरकार ने निगम में विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी धनराशि का निवेश किया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस निगम को सहकारी आधार पर चलाने

के लिये अब श्रमिकों को सौंपने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) जी हां।

(ख) 494.16 करोड़ रु०

(ग) 52 करोड़ रु० (इक्विटी भागीदारी)

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[12.00 NOON]

[The Vice-Chairman (Shrimati Jayanthi Nnatarajan) in the Chair]

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Report and Accounts (1990-91) of the Jute Corporation of India Limited, Calcutta and related papers.

II. Report and Accounts (1990-91) of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi and related papers.

III. Report and Accounts (1990-91) of the Jute Manufacturers Development Council, Calcutta and related papers.

IV. Memorandum of Understanding (1992-93) between the Government of India (Ministry of Textiles) and the National Development Corporation Limited.

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

I. (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :--

(i) 1990-91 के वर्ष के लिये जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ii) उपरोक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गई। (1) और (2) के लिये देखिए संख्या एल० टी० 1961/92]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :--

(क) 1990-91 के वर्ष के लिये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी, नई दिल्ली का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त इंस्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) के लिये देखिए संख्या एल० टी० 1965/92]।

III. (क) 1990-91 के वर्ष के लिये जूट मैन्युफैक्चरर्स डेवलपमेन्ट काउंसिल कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।